

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक-स्था02/02-04/2015

17

पटना, दिनांक- 11.08.17

प्रेषक,

पूनम(भा०प्र०से०)
निदेशक।

सेवा में,

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, बांका, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सिवान एवं गोपालगंज।

विषय:- मुख्यशीर्ष 3454 के राज्य स्कीम उपशीर्ष 0101- समग्र सांख्यिकी विकास योजना शीर्ष से जिलान्तर्गत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों का अधिष्ठापन तथा रख-रखाव हेतु ₹494520/- (चार लाख चौरानवे हजार पाँच सौ बीस रुपये) का आवंटन।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
- तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में निदेशालय के आवंटन आदेश संख्या-06 दिनांक 29.06.2017 द्वारा ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) का आवंटन आदेश निर्गत किया गया था जिसे निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या-281, दिनांक 11.08.2017 (ज्ञापांक-1791, दिनांक 11.08.2017) द्वारा रद्द कर दिया गया है।
- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के स्वीकृत्यादेश संख्या-1288 दिनांक 21.06.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला अन्तर्गत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों का अधिष्ठापन तथा रख-रखाव हेतु कुल अनुमानित व्यय पर स्वीकृत योजना के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार निदेशानुसार व्यय करने के लिए संशोधित राशि आवंटित किया जाता है।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष 205- राज्य सांख्यिकी एजेंसी, समूह शीर्ष-राज्य योजना, उप शीर्ष-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना, विषय शीर्ष-13-01 कार्यालय व्यय के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022050101 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 से 16 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

(Handwritten signature)

8. प्रत्येक परिस्थिति में मदवार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. व्यय का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
10. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।
11. आवंटित राशि स्वीकृतादेश संख्या-1288 दिनांक 21.06.2017 के आलोक में जिलान्तर्गत प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों के अधिष्ठापन पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रति-पूर्ति हेतु नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि विकलनीय है।

विश्वासभाजन


बजट सहायक


प्रशाखा पदा०



सहायक निदेशक


निदेशक

ज्ञापांक- 17

दिनांक- 11.08.17


प्रतिलिपि:- महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

ज्ञापांक- 17

दिनांक- 11.08.17

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी पटना, भोजपुर, गया, जहानाबाद, नवादा, बेगूसराय, बांका, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, सिवान एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक

ज्ञापांक- 17

दिनांक- 11.08.17

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(बजट शाखा)

2. उप निदेशक (योजना), उप निदेशक (कृषि) एवं उप निदेशक (प्रकाशन) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना
3. कार्यालय लेखापाल(दो प्रतियों में)/संबंधित कार्यालय परिचारी, निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में चिपकाने हेतु एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड करें।


निदेशक

